खेलकूद/सह-शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर उपलब्धियों का लाभ

उपयुक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा बशर्ते अभ्यर्थी यह उपलब्धि विगत दो वर्षों में प्राप्त की हो एवं निर्विवाद मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो और उचित सत्यापन के पश्चात् सही प्रमाणित हो ।

1.1 खेलकूद

उपलब्धि	लाभ
(अ) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(स) विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य की प्रतिनिधित्व ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(द) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(य) सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(र) राज्य शिक्षा विभाग अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी को प्राप्तांक प्रतिशत के 3 प्रतिशत की वृद्धि
(ल) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेल-कूद में स्कूल का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी को प्राप्तांक प्रतिशत के 2 प्रतिशत की वृद्धि
(व) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी को प्राप्तांक प्रतिशत के 2 प्रतिशत की वृद्धि ।
(स) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में जोन का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी को प्राप्तांक प्रतिशत के 3 प्रतिशत की वृद्धि ।

उपर्युक्त अंक : लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन के साथ ही प्रवेशाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । जिसके अभाव में उक्त लाभ देय नहीं होगा ।

वर्ग :

(1) अ ब स : भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित सम्बन्धित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद्, राज्य क्रीड़ा परिषद् ।

(2) द : विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् ।

(3) य : राज्य क्रीड़ा परिषद् ।

(4) र, ल : उपनिदेशक स्तर के अधिकारी / विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् / निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त ।

(5) व, स : आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित ।

(6) : उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेल-कूद ही मान्य होंगे :-

(1) एथेलेटिक्स (2) जलीय (स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो) (3) बैडमिण्टन (4) बास्केट बॉल (5) शतरंज (6) क्रिकेट (7) साईकिल चलाना (8) फुटबाल (9) हॉकी (10) कबड्डी (11) खो-खो (12) टेबल टेनिस (13) टेनिस (14) वालीबॉल (15) हैण्डबॉल (16) कुश्ती (17) भारत्तोलन (18) जिम्नास्टिक (19) जूडो (20) साफ्टबॉल (21) मल्लखम्भ (22) योगासन (23) बॉल बैडमिंटन (24) मुक्केबाजी (25) पावर लिफ्टिंग एण्ड बेस्ट फिजिक (26) स्कवैश रैकेट ।

1.2 एन.सी.सी.

उपलब्धि	लाभ
(अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(स) निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविध में भाग लेना ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि

1. गणतंत्र दिवस कैम्प
2. अखिल भारतीय एडवान्स लीडरशिप कैम्प
3. पैरा जम्पिंग कोर्स
4. आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20,000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग।
5. छात्र/छात्रा विंग में भी सर्टिफिकेट/जी-2 सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति ।
6. जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए-पार्ट 2/जे पार्ट-2 प्रमाण-पत्र प्राप्ति ।
7. स्नो-स्काइंग कोर्स ।
8. सीनियर अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति ।

टिप्पणी :

गणतंत्र दिवस कैम्पस की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वालों को पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाईविंग कोर्स पूर्णकर्त्ता कैडेट को, एडवेंचर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोर्स करने वाले

को सी सर्टिफिकेट और जी-2 सर्टिफिकेट ए ग्रेड सहित उत्तीर्ण कैडेट को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् चार प्रतिशत का लाभ देय होगा ।

(द) निम्नांकित गतिविधियों में प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता भाग लेने अथवा निम्नांकित निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांकों विशिष्टता अर्जित करने पर में 2 प्रतिशत की वृद्धि

1. ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैंप ।
2. छात्र/छात्रा विंग का सी / जी पार्ट-2 सी ग्रेड के साथ ।
3. ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स ।
4. कम से कम तीन सप्ताह का अटेचमेण्ट कोर्स ।
5. वाटर स्काइंग कोर्स ।
6. जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए-पार्ट / जे पार्ट कोर्स ।
7. अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति ।

1.3 पर्वतारोहण

उपलब्धि	लाभ
(अ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुँचे ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि
(स) सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि

1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना :

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता / राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार से पुरस्कृत स्वयं सेवक ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड / राष्ट्रीय एकीकरण शिविर / राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर में भाग लिया हो तथा 2 विशेष शिविरों में सम्मिलित तथा 240 घण्टों का सेवा कार्य ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 4 प्रतिशत की वृद्धि
(स) राज्य स्तर पर शिविर में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में सम्मिलित एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि
(द) एक विशेष शिविर में सम्मिलित एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि

1.5 रोवर स्काउट गाईड :

राष्ट्रपति रोवर्स कार्यक्रम में भाग लिया है

अथवा

(अ) विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा अखिल भारतीय भारत स्काउट गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में गत 5 वर्ष की सेवा अवधि में रोवर में नियमिति सदस्य अथवा गत दो वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्काउट / गाईड / रोवर / रेंजर पुरस्कार प्राप्त ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब) राज्य स्काउट / गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्वकर्त्ता यदि गत 2 वर्ष की अवधि में रोवर / रेंजर समागम में नियमित सदस्य हो या निपुण पुरस्कार।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि
(स) गत 2 वर्ष में राज्य कमिश्नर से प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र प्राप्त अथवा गत 2 वर्ष में रोवर/रेंजर मीट में तीन पताकाएं प्राप्तकर्त्ता दल में सम्मिलित अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्सकर्त्ता अथवा प्रवीण पुरस्कार ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि

1.6 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ :

(अ) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश केवल एक बार।
(ब) भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयेजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विजेता / उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की वृद्धि
(स) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/ राज्य का प्रतिनिधत्व ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि

टिप्पणी : उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा ।

(द) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/ विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था सम्भाग का प्रतिनिधित्व/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि

/जिला अथवा सम्भाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता
के विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल
प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त ।

1.7 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

(अ) मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र / पुत्री ।
अथवा
प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी
पुत्र / पुत्री ।
अथवा
महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालय हेतु)
यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय / विषय में
अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला
महाविद्यालय में उपलब्ध न हो ।
अथवा
विश्वविद्यालय / निदेशालय कॉलेज शिक्षा में अधीन
महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक / अशैक्षणिक
कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री ।

प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु
अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि
(एम.बी.ए., विधि,कम्प्यूटर या अन्य पेशेवर)
पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा ।)

टिप्पणी :

1. नियम 1.1 से 1.7 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है ।
2. उपर्युक्त लाभ हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित अधिकारी / विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। प्रमाण-पत्र बाद में स्वीकार्य नहीं किये जायेगें तथा ऐसे प्रमाण-पत्र की छाया-प्रति स्वीकार्य नहीं की जायेगी ।
3. उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.7 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि (जो भी अधिकतम हो) का लाभ अभ्यर्थी को देय होगा चाहे अभ्यर्थी कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो ।
4. उक्त उपलब्धि में से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक ही बार का लाभ देय होगा ।
5. उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के साथ इस आशय का पृथक् से आवेदन पत्र देना होगा । इसके अभाव में यह लाभ देय नहीं होगा ।

विभागाध्यक्षों और संकाय अधिष्ठाताओं द्वारा भेजे गये मामलों के संबंध में निम्नलिखित प्रकार से गठित समिति विचार-विमर्श करेगी :-

1. सभी संकायों के अधिष्ठाता (इंजीनियरिंग संकाय को छोड़कर)
2. अध्यक्ष, क्रीड़ा मण्डल
3. सलाहकार, क्रीडा मंडल, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

टिप्पणी : क्रीड़ा / खेल के आधार पर प्रवेश कुल स्थानों के 2 प्रतिशत पर ही दिया जायेगा।

प्रवेश अस्वीकार करने के आधार

प्रवेश समिति निम्नांकित स्थितियों में प्रवेशार्थी का प्रवेश अस्वीकार कर सकती है :-

1. ऐसा प्रवेशार्थी जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र में कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो ।
2. ऐसा प्रवेशार्थी जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क नहीं जमा कराया हो ।
3. ऐसा प्रवेशार्थी जिसने आवेदन-पत्र जमा कराने की घोषित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया अथवा अपूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया हो ।
4. ऐसा प्रवेशार्थी जिसने महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो ।
5. ऐसा प्रवेशार्थी जिसका प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो ।
6. ऐसा प्रवेशार्थी जो पूर्व वर्षों में किसी बड़े दुराचार / दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो या विश्वविद्यालय परीक्षाकाल में कदाचार का दोषी रहा हो ।
7. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा खंडित किया गया हो ।
8. ऐसा प्रवेशार्थी जिसके विरूद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो ।
9. ऐसा प्रवेशार्थी जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो ।
10. ऐसा प्रवेशार्थी जो प्रवेश के समय किसी शैक्षणिक / अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार / दुर्व्यवहार अथवा गाली गलौच करने का दोषी हो ।
11. प्रवेशार्थी के किसी अवांछनीय आचरण के कारण।
12. प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण ।

(क) किसी कक्षा में छात्र तब तक प्रवेश नहीं पा सकेगा जब तक कि अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण न की हो और अध्यादेशों के अन्तर्गत योग्यता नहीं रखता हो ।

(ख) 1. जिस छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा अन्य विद्यालय / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी ने एफ.आई.आर. लिखवाई हो, वह नियमित छात्र के रूप में किसी विभाग / संघटक महाविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र नहीं है ।

2. जिस छात्र के खिलाफ दण्डनीय अपराध सिद्ध होता है और जिससे नैतिक भ्रष्टता स्पष्ट होती हो, ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय के विभाग/संघटक महाविद्यालय/सम्बन्ध महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ग) प्रवेश के समय छात्र/छात्रा को निम्नलिखित घोषणा करनी होगी :-

मैं घोषणा करता/करती हूँ :-

1. कि मेरे खिलाफ कोई दण्डनीय अपराध सिद्ध नहीं है, और न दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर छोड़ा गया है।
2. कि मेरे खिलाफ दण्डनीय अपराध अथवा नैतिक भ्रष्टाचार का मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. कि विश्वविद्यालय/संघटक महाविद्यालय/सम्बन्ध महाविद्यालय के आचार्य अथवा अन्य किसी सक्षम अधिकारी ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत अथवा एफ.आई.आर. नहीं लिखवाई हुई है।

4. कि पिछले वर्ष मेरे खिलाफ किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई है।

5. कि मुझे यह भली भाँति ज्ञात है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा वांछित उपस्थिति अर्जित करनी होगी।

विशेष निर्देश :-

1. महाविद्यालय में उपस्थिति को विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है। अनियमित छात्रों का प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा किन्हीं विशेष कारणों से लम्बी अनुपस्थिति के लिए प्राचार्य से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है।
2. महाविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं को अपनी निर्धारित गणवेश सोमवार, मंगलवार, गुरूवार व शुक्रवार को पहननी है।
3. पूर्व सूचना के बिना लगातार दस दिनों तक अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय सूची से पृथक कर दिया जायेगा।
4. आवधिक परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों का नाम महाविद्यालय सूची से पृथक कर दिया जायेगा। सभी विद्यार्थियों को मासिक एवं पूर्वाभ्यास परीक्षाएँ देना अनिवार्य है।
5. प्राचार्य के पास सभी छात्रों की प्रगति तथा उपस्थिति का विवरण सदैव उपलब्ध रहेगा। अभिभावकों से निवेदन है कि वे छात्र-छात्रा के उज्ज्वल भविष्य हेतु प्राचार्य से व्यक्तिगत सम्पर्क करें। प्राचार्य द्वारा अभिभावकों को विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा अध्ययन की प्रगति की लिखित सूचना देने पर भी जो अभिभावक ध्यान नहीं देंगे, ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
6. विभिन्न अखिल भारतीय, राज्य एवं विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में और क्रीड़ा स्पर्धाओं में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा जो महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में चयनित हुए है।

Attendance Rules :-

For all regular candidates of this college, the minimum attendance requirement shall be that a candidate should have attended atleast 75% of the lectures delivered as well as 75% of the practicals and sessionals from the date of her/his admission.

Start of Classes :-

Regular teaching in continuing and newly formed classes will begin from the opening day of the Academic Session Second week of July. It is hoped that University Examination results would be out by that time However, If they are unavoidable delayed, Second Year and Final year Degree Classes will start functioning on the basis of provisional admission. Those Candidates who fail to pass the qualifying examination would be dropped. The Candidates qualifying for supplementary examination will be given provisional admission to the next higher class of continuing Courses.